

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1309 / 2022

दिनांक : 16.04.2022

श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा, मुख्यालय—पोकरण को दिनांक 28.04.2022 से 02.05.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री सान्दू की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण के पद पर ही होने की संभावना है।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजस्थान (न्यायिक शाखा)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/150/2020/ 2866

दिनांक : 16.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर को उनके पत्रांक 548 दिनांक 11.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री किशन सान्दू (RJ1397), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांकड़ा मुख्यालय—पोकरण।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।

16.4.2022
सहायक रजिस्ट्रार